International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 25-03-2022, Accepted: 11-04-2022, Published: 26-04-2022
Volume 8, Issue 2, 2022, Page No. 123-126

भारत में निर्वाचन का स्वरूप एवं निर्वाचन आयोग

प्रेमसिंह रावलोत, कुसुमलता पुरोहित
[1] सह आचार्य, लोकप्रशासन विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत
[2] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
लोकतंत्र व्यवस्था के अन्तर्गत जनता समय–समय पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और प्रतिनिधि विधानसभाओं में जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते है। आजकल संसार में प्रायः सभी लोकतंत्रात्मक राज्यों में परोक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था है। निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है और जनता की इच्छा जानने का प्रत्यक्ष तरीका है इसके माध्यम से नागरिक को शासन से जोड़ने की कड़ी मिल जाती है तथा इसमें नागरिक ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार बन जाते है इसलिए लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए निर्वाचन का निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना आवश्यक हो जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मतदाता ही सरकार का निर्माणकर्ता होता है। सरकार मतदाताओं की सहमति से ही प्रतिनिधित्व करती है इस राष्ट्रीय सहमति का निष्कपट एवं निष्पक्ष आकलन करना निर्वाचन तंत्र का मुख्य दायित्व होता है। वस्तुतः एक निष्पक्ष सरकार के संदर्भ में वास्तविक प्रमाण निर्वाचन तंत्र का अभिलेख ही होता है। कोई भी अन्य तंत्र स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि सरकार का निर्वाचन निष्पक्ष तरीके से हुआ या नहीं।इस बात का निर्धारण वास्तव में निर्वाचनतंत्र द्वारा ही विशुद्ध रूप से किया जाता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। भारत में चुनाव करवाने का विराट कार्य चुनाव आयोग सम्पन्न करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसके महत्व को देखते हुए चुनाव आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव व्यवस्था के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण का कार्य भारत में संवैधानिक मान्यता प्राप्त स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोग को सौंपा गया है।

मूल शब्दः लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, चुनाव, निर्वाचन तंत्र, संवैधानिक।

प्रस्तावना
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निर्वाचन का महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। निर्वाचन के माध्यम से ही लोकनीति में नागरिकों के मनोभावों की सहभागिता से प्रजातंत्र का कियान्वयन होता है। विशाल जनसंख्या,विस्तृत भूमि क्षेत्र तथा व्यापक कार्यक्षेत्र के कारण आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागी हो ऐसा असम्भव है। इसके विकल्प के रूप में ही प्रतिनिधि मूलक प्रजातंत्र का प्रचलन हुआ है।इस तरह के प्रजातांत्रिक राज्य में जनता अपनी शासन शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधियों को चुनकर उनके माध्यम से करती है। लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित सत्ता जनता के पास होती है। यह जनता प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर अपनी ओर से उन्हें शासन का अधिकार प्रदान करती है इससे प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि ही व्यवहार में शासन शक्ति के धारणकर्ता एवं प्रयोगकर्ता दोनों हो जाते है। भारत में भारतीय संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार अपनाया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 में स्पष्ट रूप से किया गया है। इस अनुच्छेद में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कोई भी नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो,मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिये अर्ह है। प्रारम्भ यह आयु सीमा 21 वर्ष थी लेकिन 1989 में यह सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी।[1] मत देने का अधिकार वास्तव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संव्यवहार का एक माध्यम है। संविधान के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के विषय में जाति,धर्म,वर्ग या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर विभेद पर प्रतिबन्ध है। अर्थात् किसी भी व्यक्ति का मतदाता सूची में दर्ज करने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि संबंधित व्यक्ति अमूक जाति या धर्म से संबंध रखता है। इसी प्रकार संविधान के अंतर्गत ही लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। संविधान में कहा गया है कि ''कोई नागरिक केवल अनिवास,चित्तविकृति,अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर ही संविधान या उपयुक्त विधायिका द्वारा निर्मित विधि द्वारा मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए अनर्ह घोषित किया जा सकता है।[2]
भारत में निर्वाचन व्यवस्था की विशेषताएं–भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है जिसमें नियत समय पर चुनावों का संचालन होता है। इस चुनाव व्यवस्था में कुछ विशेष बातें दिखाई देती है जिन्हें भारतीय चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं कहा जा सकता है जो इस प्रकार है–

1. **चुनाव श्रमसाध्य कार्यः** भारत में चुनाव एक भीमकाय कार्यवाही है।विश्व के सबसे बडे लोकतंत्र भारत में केवल संख्या की दृष्टि से ही चुनाव कराना यूरोप,अमेरिका,आस्ट्रेलिया में एक चुनाव कराने जैसा है।समूचे देश में मतदान केन्द्रों की संख्या लगभग 9 लाख तथा लगभग 60 से 80 लाख के बीच चुनाव कर्मियों की व्यवस्था करनी होती है।
2. **मतदाता की वृद्धिधत राजनीतिक प्रबुद्धताः** भारत में निर्वाचन प्रणाली की एक अन्य विशेषता स्वतंत्रता के बाद हुए चुनावों में निरंतर बढती मतदाता की राजनीति प्रबुद्धता है। प्रत्येक चुनावों के गत चुनावों के मुकाबले मतदाताओं की राजनीतिक चेतना का स्तर बढता हुआ दिखायी देता है।

3. **उम्मीदवार के निर्धारण की स्वतंत्र प्रक्रिया**: राजनीतिक दलों अथवा समूहों के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनने की कोई निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। वे स्वयं अपनी प्रक्रिया नियोजित करने हेतु स्वतंत्र है।राजनीतिक दलों द्वारा जिस प्रत्याशी को खडा किया जाता है उसके चयन में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

4. **सार्वभौम वयस्क मताधिकार:** भारत में एक व्यक्ति–एक वोट प्रणाली अपनाई गई है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार अर्थात् प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष की आयु होने पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का हकदार है।

5. **सामान्य बहुमत प्रणाली:** इस व्यवस्था को बहुत्व या बहुमतीय व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है।भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लोकसभा,राज्य विधानसभा स्थानीय निकाय तथा पंचायत स्तर के सदस्यों का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से जितने उम्मीदवार चुनाव लडते है,उनमें सबसे अधिक मत पाने वाले मतों का पूर्ण एवं निरपेक्ष बहुमत मिलना आवश्यक नहीं है, को विजयी माना जाता है।

6. **गुप्त मतदान:** भारत में चुनाव में गुप्त मतदान व्यवस्था रहती है। मतदाता गुप्त रूप से अपने मत का प्रयोग करता है। गुप्त मतदान से शांति व्यवस्था बनी रहती है और अनावश्यक विवाद पैदा नहीं होते है।

7. **प्रादेशिक प्रतिनिधित्व:** प्रदेशिक प्रतिनिधित्व को भौगौलिक प्रतिनिधित्व के नाम से जाना जाता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अन्तर्गत राज्य में चुनाव हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र को विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाजित क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। एक निर्वाचन से एक ही सदस्य चुना जाता है। इसके अलावा ऐच्छिक मतदान, निर्वाचित प्रतिनिधित्व का,स्वतंत्र प्रतिनिधित्व का अधिकार,मतदाता सूचियां व पहचान पत्र की अनिवार्यता तथा उच्चतम व उच्च न्यायालय की अधिकारिता आदि महत्वपूर्ण विशेषताएं है।

संवैधानिक व्यवस्था

भारतीय संविधान में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान भाग–15,अनुच्छेद 324–329 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि एक निर्वाचन आयोग होगा वह प्रत्येक राज्य विधानमण्डल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करेगा। संविधान में यह भी उपबंध है कि आम चुनावों के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त से परामर्श करने के उपरान्त प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की जाए।संविधान में स्पष्ट प्रावधान के बावजूद 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय ही था। 1989 में आयोग में दो सदस्य बढाएं गये।लेकिन जनवरी 1990 को पुनः एक सदस्यीय बना दिया। 2 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दो और सदस्यों की नियुक्ति कर निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय बना दिया। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 14 जुलाई 1995 को दिये गये फेसले में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाने तथा निर्वाचन आयोग के सभी सदस्यों को समकक्ष मानने संबंधी राष्ट्रपति की अधिसूचनाओं को वैध घोषित कर दिया। संविधान का अनुच्छेद 329 एक विशेष उपबन्ध है।इसमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित विधियों का पूर्ण संरक्षण किया गया है। जब परिसीमन आयोग,प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं बनाता है और परिसीमन के बारे में उसके
आदेश प्रकाशित हो जाते है तो वे अन्तिम हो जाते है और उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य

1. निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमण्डल,स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करवाता है तथा सूची में संशोधन का कार्य भी करता है।
2. निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,संसद तथा राज्य विधानमण्डल के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करता है।
3. निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए सामान्य नियम बनाता है तथा चुनाव तिथि व कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करता है।
4. निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमण्डल सदस्यों के अयोग्यता संबधी मामलों में क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देता है।
5. निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमण्डल के निर्वाचन संबंधी संदेहों तथा विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति करता है।
6. निर्वाचन आयोग कुछ विशिष्ट कारणों से चुनाव को स्थगित और रद्द कर सकता है।
7. निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को रेडियो तथा टेलीविजन पर चुनाव प्रचार के लिए प्रसारण का दिन व समय निर्धारित करता है।
8. निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है एवं उनकी मान्यता रद्द कर सकता है।
9. निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिह्न आवंटित करता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 324(2) में किया गया है।संविधान में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग मे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा उतने अन्य आयुक्त होंगं जितनी संख्या राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद की बनाई विधि के अधीन रहते हुए की जायेगी।[3]

योग्यताएँ

मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए,इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। भले ही इस महत्वपूर्ण पद के लिए योग्यताओं का निर्धारण नहीं किया है लेकिन अगर देखा जाए तो अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति भारतीय न्यायिक सेवा के सदस्य रहे है।

कार्यकाल व सेवा शर्ते

मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होगा, इस पर संविधान मौन है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की पदावधि का निर्धारण संसदीय कानुनों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा किया जाना था,लेकिन 1972 तक राष्ट्रपति द्वारा कोई कदम इस संबंध में नहीं उठाया गया।यही कारण है कि प्रथम व दूसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष से भी अधिक समय तक पद पर बने रहे। सन् 1972 में पदावधि का निर्धारण किया गया, जिसके तहत यह निश्चित किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो,पद पर आरूढ होगें। 1991 में पदावधि में परिवर्तन करते हुए यह अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो निश्चित की गई,अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो,पदासीन रहता है।मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

पद से हटाने की प्रक्रिया

संविधान के अनुच्छेद 324 (5) में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी कारणों एवं उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है, जिस कारणों से एवं जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है।उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अवधि से पूर्व दो कारणों से हटाया जा सकता है जो इस प्रकार है–

1. कदाचार
2. असमर्थता

इसके लिए राष्ट्रपति को समावेदन देकर यह प्रार्थना करनी होगी कि न्यायाधीश को पद से हटाया जाए यदि प्रस्ताव लोकसभा से कम से कम 100 सदस्यों के और यदि राज्यसभा में लाया जाना है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। सभापति व अध्यक्ष ऐसे व्यक्तियों से परामर्श ले सकता है, जिसे वह उचित समझे और ऐसी सामग्री पर विचार कर सकता है जो उपलब्ध हो और प्रस्ताव को ग्रहण कर सकेगा या ग्रहण करने से इन्कार कर सकेगा। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो तीन व्यक्तियों की एक समिति का गठन किया जायेगा जो निम्नलिखित होंगें–

1. एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों में से होगा।
2. एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीशों में से होगा।
3. एक व्यक्ति परंपरागत विधिवेत्ता होगा।

यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी या असमर्थता से ग्रस्त है, तो न्यायाधीश को पद से हटाया जाने का प्रस्ताव और समिति के प्रतिवेदन पर उस सदन में विचार किया जायेगा,जिसमें वह प्रस्ताव पेश किया गया था।यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थिति एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाए तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है तथा राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश देता है।

अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने की प्रक्रिया से अलग है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है।

राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में राज्य स्तर पर निर्वाचन तंत्र का प्रावधान किया गया है। वास्तव में संविधान में राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र के बारे में भले ही कुछ न कहा गया हो लेकिन निर्वाचन में यह तंत्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। निर्वाचन आयोग जिसका उल्लेख संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 में किया गया है एक केन्द्रीय सत्ता है जो सम्पुर्ण देश के निर्वाचन से संबंधित समस्याओं का समन्वय,निर्देशन,निराकरण व नियंत्रण तो कर सकता है,लेकिन चुनावों के व्यवहारिक आयोजन का कार्य वह पूर्णतः कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता है। जनप्रतिनिधित्व कानून में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकारियों में से राज्य सरकार की सलाह से निर्वाचन आयोग द्वारा कि जाती है। निर्वाचन आयोग अपने कार्यों के संचालन एवं सहयोग हेतु राज्य स्तरीय निर्वाचन तंत्र का गठन करता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य में निर्वाचन तंत्र का सर्वेसर्वा होता है लेकिन केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में ही रहकर अपने समस्त कार्यों का संपादन करता है।[4]

जिला स्तरीय निर्वाचन तंत्र

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा संसद ने राज्य स्तर पर एक निर्वाचन तंत्र का गठन करने के साथ ही जिला स्तर पर भी एक निर्वाचन तंत्र का प्रावधान किया है। राज्य सरकार की सहमति से प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रायः जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी जिलाधीकारी के अलावा, जिले के कुछ अन्य अधिकारी भी निर्वाचन पंजीयन अधिकारी,रिटर्निंग अधिकारी,सब–डिविजनल अधिकारी,रेवेन्यू अधिकारी तथा तहसीलदार प्रमुख है।

25 जनवरी 1951 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी थी अपनी इतनी लम्बी यात्रा में निर्वाचन आयोग ने अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। यह एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जिसकी साख लगातार बढ रही है। इसकी भूमिका निम्नलिखित बिन्दुओं से समझी जा सकती है

1. भारत में आम चुनाव करना एक श्रमसाध्य काम है। देश में हर पांचवे वर्ष चुनाव होते है। लोकसभा के 543 एवं अन्य राज्य विधानसभाओं के लगभग 4500 सदस्य मतदाताओं द्वारा चुने जाते है। स्वतंत्रता के उपरान्त लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संचालन में निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
2. प्रत्येक निर्वाचन के साथ ही निर्वाचन के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अनेक जटिलताओं का निर्वाचन आयोग को सामना करना पड़ रहा है। भ्रष्ट या राजनीतिक दलों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिकारी भी चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी पैदा कर सकते है, इसके अलावा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण करवाना, देश के दुरदराज के इलाकों में मतदान की व्यवस्था करना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, फर्जी मतदान एवं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं को रोकना आदि।
3. निर्वाचन आयोग लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव का संचालन करने के लिए संघ सरकार, राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों पर निर्भर है। स्वतंत्र प्रशासनिक मशीनरी के अभाव में निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के संचालन की चुनौती उत्पन्न हो जाती है।
4. आदर्श आचार संहिता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं की तरह वैधानिक शक्ति है लेकिन टी.एन.शेषन के चुनाव आयुक्त कार्यकाल के दौरान इसके प्रवर्तन के लिए कार्य संस्कृति का विकास किया गया। पिछले कुछ चुनावों में यह प्रवृति सामने आई है कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग के आचार संहिता पालन संबंधी निर्देशों को अनिच्छा से माना गया है। प्रायः सभी राजनीतिक दल आचार संहिता के पालन के मुद्दे पर चुनाव आयोग के विरोध में एकमत है।
5. निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्षता से कार्य कर लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में भरोसा कायम किया गया है। चुनाव आयोग के कार्यकुशल निष्पक्ष एवं ईमानदारी से कार्य के अनेक दृष्टांत मौजूद है जिनमें सत्तारूढ दल अथवा विपक्ष से प्रभावित हुए बिना राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया में अवरोध पैदा करने से रोका गया है।
6. निर्वाचन आयोग ने पिछले दो दशकों में निर्वाचन प्रग्रिया के सचालन के साथ–साथ मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से भारत की जनता को मतदान के लिए प्रेरित किया है।
7. चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा उठाये गए सख्त कदमों के कारण अब चुनावी हिंसा पूर्व की तुलना में कम होती है। आयोग के अनुसार इसका मुख्य कारण देश भर में प्रयुक्त इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग तथा अर्द्धसैनिक बलों की कम्पनियों की चुनावों में तैनाती है। चुनावों के दौरान हिंसा में कमी करने विशेषतः जम्मू कश्मीर,पूर्वोतर के राज्यों एवं नक्सलवादी हिंसा से पीड़ित क्षेत्रों के लिए आयोग विशेष रणनीति अपनाता है।

निष्कर्ष

निर्वाचन आयोग की भूमिका के संदर्भ में कतिपय आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की जाती है। इन आलोचनाओं में मुख्यतः चुनाव आयोग की अत्यधिक सक्रियता, निर्वाचन आयोग का लम्बे समय तक एक सदस्यीय रहना, सत्तारूढ़ दल के इशारे पर कार्य करना, चुनावी गड़बड़ियों को रोक पाने में असमर्थता, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण न कर पाना तथा निर्वाचन सम्पन्न करा पाने पर राज्य की मशीनरी पर अवलम्बन आदि शामिल है। विगत कुछ समय से चुनाव आयोग की भूमिका के निर्वाह के लिए अनेक सुधारात्मक प्रयास अपेक्षित है। अब चुनाव आयोग रैलियों,चुनाव प्रचार और मतदान पर निगरानी के साथ–साथ चुनाव सुधार संबंधी उन महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को प्रदान करते हुए उनके पालन के लिए पहल करता है तथा राजनीतिक दलों,मतदाताओं एवं सरकार के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में मार्गदर्शन सिद्धान्त प्रतिपादित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानुन का शासन हो, वहाँ कोई भी संस्था बिना कानुनी समर्थन के कार्य करने लगे तो वह अनुचित माना जाएगा। चुनाव आयोग एवं राजनीतिक दलों के बीच गतिरोध,संघर्ष एवं परस्पर उपेक्षा उचित नहीं है। प्रो. त्रिलोचन शास्त्री के अनुसार, ''आज भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौतियों को देखते हुए आयोग को अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. ब्रज किशोर शर्मा, भारत का संविधान, प्रेटिंस हाउस ऑफ इण्ड़िया प्राइवेट लि.,नई दिल्ली, 2002 पृष्ठ सं. 225
2. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद 2000 पृ.सं.545
3. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान नेशनल बुक ट्रस्ट इण्ड़िया, नई दिल्ली 2000 पृ. सं–221,222
4. एम.डी चतुर्वेदी, भारत का संविधान,लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स इलाहाबाद 1993, पृ.सं.552
5. सी बी गेना,तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं,विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि.,नई दिल्ली 2001 पृ.946
6. डॉ. रूपा मंगलानी, भारतीय शासन एवं राजनीति,राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी छठा संस्करण 2015
7. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 खण्ड 2क 13(2)
8. संविधान अनुच्छेद 324 (2)
9. संविधान अनुच्छेद 19(क)भाग 3
10. अनुच्छेद–325,326
11. संविधान का अनुच्छेद 329 (क)
12. संविधान के अनुच्छेद 19(क) भाग 3
13. अनुच्छेद–325,326
14. संविधान अनुच्छेद–324
15. ज्नप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950,खण्ड 2क,13(2)